रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सं. मा. सं. प्र./56/2016/आयुक्त संवर्ग.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I भर्ती नियम 2013 एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II भर्ती नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतद्द्वारा अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**
   1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
   2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**

   उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-**

   भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **अयोग्यता- वह व्यक्ति**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

   (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति-**

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के परामर्श से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति –**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त	32* * (2018) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'क' गैर-अनुसचिवीय	लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600 रूपये)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति द्वारा :** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I के मूल पद पर छ: वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। **टिप्पणी-** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ग्रुप 'ए' के अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपये) के लेवल-13 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपये) के लेवल-12 में छ: वर्ष की नियमित सेवा अथवा फिटनेस एवं पद की उपलब्धता के अनुसार ग्रुप 'ए' में बीस वर्ष की नियमित सेवा की हो	पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं:- i. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: अध्यक्ष ii. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : सदस्य iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त: सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है

डॉ. वी.पी. जोय,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि
[सं. विज्ञापन –III/4/असा./477/2017-18]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

No. HRD/562016/RR/Commissioner Cadre.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner-I Recruitment Rules, 2013, and the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner-II Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, Employees' Provident Fund hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix-** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Central Provident Fund Commissioner	32* * (2018) Subject to variation dependent on workload	Group 'A' Non-Ministerial.	Level 13A (Rs.1,31,100-2,16,600)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officers holding the substantive post of Regional Provident Fund Commissioner – I having six years of regular service in the grade. **Note.-** Officers of Employees' Provident Fund Organisation in Group 'A' with three years' regular service in Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or with six years' regular service in Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) and having twenty years' service in Group 'A' subject to fitness and availability of position.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment: Chairman. (2) Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment: Member. (3) Central Provident Fund Commissioner – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

Dr. V. P. JOY, Central Provident Fund Commissioner &
Secy, Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./477/2017-18]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.16 22:42:29 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.